an>

Title: Need to make provisions and give power to Panchayat Members to implement Centrally Sponsored Schemes.

**श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) :** महोदय, नागौर मेरा संसदीय क्षेत्र है। भारत में नागौर इसलिए जाना जाता है, क्योंकि पंचायती राज की स्थापना नागौर से हुई थी। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने 2 अक्तूबर, 1959 को यह की थी। उस समय पंचायती राज में त्रिस्तरीय पद्धति थी जो अभी भी है। पहले पंच और सरपंच के अलावा बाकी लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् जिला परिषद और पंचायत समिति मेंबरों के लिए अलग से कांस्टीट्यूएंसी बनाई गई है। अब उनका चुनाव होता है। चुनाव होने के पश्चात् पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबरों के पास काम नहीं रहता है। इसका कारण यह है कि they are Centrally sponsored schemes and the State Government schemes are being implemented through the Panchayat Ward Members and the Sarpanch or the Panchayat Samiti Pradhan and not through the Members. सामान्यतः सभी लोगों की एक डिमांड थी कि पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर का काम केवल जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव तक सीमित रह गया है। उसकी छह महीने के पश्चात् मीटिंग होती है, उसके बाद उनके पास कोई काम नहीं होता है। लिहाजा ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन है कि जिला परिषद और पंचायत समिति के जो मेंबर हैं, जैसे एम.पी.लैड और एम.एल.ए. लैड होता है, प्रति ईयर उनको 10 लाख, 20 लाख और 50 लाख रुपये दिया जाना चाहिए, जिससे वे भी अपने क्षेत्र में काम करा सकें, जिससे इनके पास कुछ काम रहे। मेरा अनुरोध है कि पंचायती राज मंत्री कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिससे कि पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर्स को भी कुछ काम मिल सके।